राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021/ **जयपुर दिनांकः** 21 APR 2022

आदेश
(69–ए बाबत्)

अभियान 'शहर–2021 के अन्तर्गत धारा 69–ए के तहत् फ्री–होल्ड पट्टा देने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

1. **वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होने के संबंध में :–** परिपत्र दिनांक 27.09.2021 व 12.11.2021 के बिन्दू संख्या 2 झ को अतिक्रमित करते हुए अकृषि आबादी भूमि पर विकसित हो चुकी कॉलोनियों/मोहल्लों में निर्मित भवनों के लिये दिनांक 31.12.2018 से पूर्व के निम्न वैकल्पिक दस्तावेज माने जायेंगे। किरायेदार होने पर वैकल्पिक दस्तावेज मान्य नही होंगे।
   (i) स्वयं के/परिवार के रहवास के दिनांक 31.12.2018 से पूर्व के बिजली/पानी के बिल।
   (ii) दिनांक 31.12.2018 से पूर्व की वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम एवं मोहल्ला/कॉलोनी।
   (iii) दिनांक 31.12.2018 से पूर्व का निकाय के रिकॉर्ड में दर्ज कोई प्रविष्टि जैसे गृह कर/यूडी टैक्स आदि की रसीद।
   (iv) आवेदित भूखण्ड के आस–पडौस/मोहल्ला/कॉलोनी के दो व्यस्क व्यक्तियों के शपथ पत्र मय उनकी फोटो जिसमें 31.12.2018 से पूर्व आवेदक के रहवास का उल्लेख हो।

   उक्त दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फ्री–होल्ड पट्टा दिया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम